223

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. ~~/2018~~ *निगरानी* – 2814/2018/श्योपुर/भू.रा.

1. महावीर पुत्र हजारीलाल मीणा निवासी ग्राम जैदी तह. व जिला श्योपुर म0प्र0

——— आवेदक

श्री S. P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 8-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 8.5.18

विरुद्ध

1. अन्त्यामा वाई पुत्री हजारीलाल मीणा निवासी ग्राम जैदी तह. व जिला श्योपुर म.प्र.
2. द्वारिका वाई पुत्री हजारीलाल मीणा निवासी कॉलेज के सामने पाली रोड़ श्योपुर म.प्र.

——— अनावेदकगण

SPDhakad Adv. 8.5.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्र.क. 80/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम जैदी तह. व जिला श्योपुर की कृषि भूमि सर्वे क. 322 रकवा 0.261 हे., 323 रकवा 2.550 हे., 324 रकवा 0.073 हे., 362/1 रकवा 0.627 हे., 412 रकवा 1.076 हे., 439 रकवा 1. 746 हे., 772/1 रकवा 3.174 हे. कुल किता 7 कुल रकवा 9.437 हेक्टर भूमि के सह भूमिस्वामी आवेदक एवं अनावेदकगण अधिपत्यधारी हैं। उक्त संयुक्त खाते की भूमि का बटबारा कराने के लिये आवेदक एवं अनावेदकगण के द्वारा

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.**2814/2018/श्योपुर/भू.रा.** जिला श्योपुर

महावीर विरूद्ध अन्त्यमा वाई एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 30-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	